

Form LIC

[Rule 163E (6)]

06/Pol-77/2016

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No. 321-2016

Dated : 18/11/16

1. A License is hereby granted to Sri Ashok Chaudhary, S/O- Sri Devi Lal Chaudhary, Vill- Sonbarsa Sah, P.O- Sonbarsa Dih, P.S- Maniyari, Dist- Muzaffarpur to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at _____ Building Vill- Raghunathpur, Sitarampur, N.H-28, Kajiinda Chowk, Muzaffarpur. The P.T.S. is authorized to test the following types of vehicle test-


- (a) Petrol
- (b) Diesel
- (c) Petrol Diesel both

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

The license will be valid from 21-11-2016 to 20-11-2018

Date

Secy


राज्य परिवहन अनुमत
Signature of Licensing Authority
बिहार, पटना

The license is hereby renewed from to


(Signature of License Authority)

क्रमांक
मार्ग

6782

मार्ग क्रमांक 18/11/16

- प्रमाणपत्र :-
1. श्री अशोक चौधरी, पिता-श्री देवीलाल चौधरी, ग्राम-सोनबरगा साह, पो. सोनबरगा डीह, थाना- मनीयारी, जिला- मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
 2. स.सी. आर.टी.सी./स.भा. डी.टी.ओ. के द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. आई. टी. सेक्टर को विभागीय स्तर पर सूचनार्थ हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।


राज्य परिवहन अनुमत
(Signature of Licensing Authority)
बिहार, पटना

नोट: यह अनुमति पारदर्शक पर उल्लेखित शर्तों के अधिन प्रदान की जाती है ।

1. प्रदूषण वार्षिक पंजी का संधारण, जिसमें प्रदूषण उत्सर्जन स्तर के लिये जांच किये गये मोटर वाहनो की विशिष्टियों का उल्लेख होगा।
 - (i) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र संख्या।
 - (ii) जांच किये गये वाहन की निबंधन संख्या, निर्माता, मॉडल तथा निबंधन का वर्ष।
 - (iii) निरीक्षण के समय गैस/धुएं का स्तर/कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत।
2. निरीक्षण किये गये मोटर वाहन की निबंधन संख्या, निरीक्षण के परिमाण तथा निर्गत किये गये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की संख्या के संबंध में जानकारी देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अगले माह के पांच तारीख तक मासिक प्रतिवेदन देना।
3. अपने केन्द्र मोटर यान निरीक्षक या परिवहन विभाग के उच्चतर पवित के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये खुला रखना साथ ही केन्द्र द्वारा संधारित सभी रिकॉर्ड एवं अभिलेख उपलब्ध कराना।
4. मोटर वाहन की किसी भी त्रुटि को दूर करना, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 115 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुपालन।
5. विकार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली 2003 के नियम 163 ग के अधीन विहित शीघ्र से अधिक प्रचारित नहीं करना।
6. अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना जांच केन्द्र को अनुज्ञप्ति में उल्लिखित परिसर से न हटाना।
7. प्रदूषण जांच के लिए मोटर वाहन देने वाले मालिक या चालक के वाहन की जांच शुल्क की जायगी तथा उन्हें जांच केन्द्र का मालिक अनिवाय रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र शीघ्र देगा।
8. प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक चलान को संकेत देते हुए प्रदूषण जांच केन्द्र नामक एक साईन बोर्ड सहज दृश्य स्थल पर लगायेगा जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति संख्या तथा स्थान का नाम उल्लिखित रहेंगे।
9. प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की 100 पन्नों की तीन प्रतियों में बंधी हुई पुस्तिका, प्रत्येक पर क्रम से नम्बर अंकित होगी, संधारित करेगा और प्रत्येक पुस्तिका अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगी।
10. अनुज्ञप्तिधारी को विभागीय अधिसूचना सं० 3144 दिनांक 05.08.04 एवं विभागीय परिपत्र सं० 4064 दिनांक 12.10.04 में निहित शर्तों का पालन करना होगा।
11. अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।
12. प्रदूषण जांच केन्द्र में वेव-कैमरा का ही प्रयोग किया जायेगा। उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।